न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00132 (Bank Case)
Manual no- 47/2020

"जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक रजिस्टर्ड कार्यालय –102कंचन अपार्टमेंट, एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर राजस्थान पिन–302004 में स्थित व कार्यरत है ।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री अमरजीत पुत्र श्री इन्द्रजीत **(ऋणी–बंधककर्ता)**
पता–वार्ड नं. 2, गायनी ट्रांसपोर्ट, महावीर नगर, खैराबाद रोड, रामगंजमण्डी कोटा राजस्थान–326519
दूसरा पता–369, जैन मन्दिर कॉलोनी, मोडक गॉव, तहसील–रामगंजमण्डी कोटा राजस्थान–326519

2. अरूणा चौहान पत्नी श्री इन्द्रजीत चौहान **(सहऋणी)**
पता– वार्ड नं. 2, गायनी ट्रांसपोर्ट, महावीर नगर, खैराबाद रोड, रामगंजमण्डी कोटा राजस्थान–326519

3. श्री शहनवाज खान पुत्र श्री मुश्ताक अहमद **(जमानती)**
पता– वार्ड नं. 22,बाजार नं.3,रामगंजमण्डी कोटा जिला कोटा राजस्थान–326519

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 26.08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक रजिस्टर्ड कार्यालय –102कंचन अपार्टमेंट, एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर राजस्थान पिन–302004 में स्थित व कार्यरत है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30.06.2017 को 15,00,000/– (अक्षरेः पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमति अरूणा चौहान पत्नि श्री इन्द्रजीत चौहान की सम्पत्ति खाता संख्या 37,खसरा संख्या 198, रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा , ग्राम फतेहपुर, पटवार मण्डल सलेडा कला रागंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान का कुल एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है जो तहसीलदार रामगंजमण्डी से आदेश कमांक/307–11 दिनांक14.02.1994 से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है एवं श्रीमति अरूणा चौहान पत्नि श्री इन्द्रजीत चौहान की सम्पत्ति खाता संख्या 281, रकबा 0.15 हैक्टर, ग्राम फतेहपुर, पंचायत बुधखान, रागंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान का कुल एरिया 1500स्क्वायर मीटर है जो आदेश कमांक/राजस्व/14/1048–49 दिनांक24.3.2014 से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरितसुदा है।** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 09.10.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 13,08,010/— (अक्षरेः तेरह लाख, आठ हजार दस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 05.12.2019 तक शेष देय है व दिनांक 06.12.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 19.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 19.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति श्रीमति अरूणा चौहान पत्नि श्री इन्द्रजीत चौहान की सम्पत्ति खाता संख्या 37,खसरा संख्या 198, रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा , ग्राम फतेहपुर, पटवार मण्डल सलेडा कला रागंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान का कुल एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है जो तहसीलदार रामगंजमण्डी से आदेश कमांक/307–11 दिनांक14.02.1994 से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है एवं श्रीमति अरूणा चौहान पत्नि श्री इन्द्रजीत चौहान की सम्पत्ति खाता संख्या 281, रकबा 0.15 हैक्टर, ग्राम फतेहपुर, पंचायत बुधखान, रागंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान का कुल एरिया 1500स्क्वायर मीटर है जो आदेश कमांक/राजस्व/14/ 1048–49 दिनांक24.3.2014 से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरितसुदा है।** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner